

कार्यालय— जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र

पत्रांक: बे०शि०/ 6281-84

/2017-18

दिनांक 16-02-2018

प्रबन्धक

ग्लेनहिल स्कूल

कम्हारी राबर्ट्सगंज सोनभद्र

विषय— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 10 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र (अंग्रेजी माध्यम)।

महोदय/महोदया,

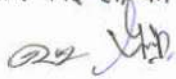
आप द्वारा प्रस्तुत पत्रावली और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/ निरीक्षण अधिकारी की आख्या के आधार पर मण्डलीय मान्यता समिति के निर्णयोपरान्त ग्लेनहिल स्कूल, कम्हारी, राबर्ट्सगंज, सोनभद्र को सत्र 2017-18 से सत्र 2019-20 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी से कक्षा 8 तक (अंग्रेजी माध्यम) तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अधीन होगा।

- 1— मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/सम्बन्ध करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2— विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबंध 1) और निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपाबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3— विद्यालय कक्षा 1 में (यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
- 4— पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपाधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5— सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6— विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और यह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा—
 - (क) प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा जो उसके विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।
 - (ख) किसी भी बालक को शारीरिक ढंग या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन किया जायेगा।
 - (ग) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।
 - (घ) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
 - (च) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

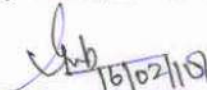
024 SH

(2)

- (छ) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापकों जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं तो पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे।
- (ज) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।
- (झ) अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापक क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7- विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8- विद्यालय अधिनियम की धारा 19 यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अन्तिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-
- विद्यालय का क्षेत्रफल-
 - कुल निर्मित क्षेत्र-
 - क्रीड़ा- स्थल का क्षेत्रफल-
 - कक्षाओं की संख्या-
 - प्राध्यापक-सह-कार्यालय-सह भण्डागार के लिए कक्ष-
 - बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-
 - पेयजल सुविधा-
 - मिड-डे-मिल पकाने के लिए रसोई-
 - बाधा रहित पहुँच-
 - अध्यापन पठन सामग्री/क्रीड़ा, खेलकूद उपकरणों/पुस्तकालय की उपलब्धता-
- 9- विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर-मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जायेगी।
- 10- विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।
- 11- विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्याय द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12- स्कूल को किसी व्यक्तियों, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13- विद्यालय लेखाओं की किसी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14- आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक.....है। कृपया इसे नोट कर ले और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए संख्यांक का उल्लेख करें।
- 15- विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने का विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाए।
- 16- सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाय।
- 17- संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।
- 

(3)

- (1) N.B.C. का प्रमाण पत्र प्रथम तल के लिए J.E. स्तर के अधिकारी एवं द्वितीय तल के लिए A.E. स्तर के अधिकारी का निर्धारित सत्यापन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।
- (2) सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अग्निशमन प्रमाण पत्र अद्यतन का प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (3) सेवा नियमावली अधिकतम 02 माह के अन्दर उपलब्ध करा दें।
- (4) शासनादेश संख्या- 419/79-6-2013-18(20)/91 दिनांक 08 मई, 2013 का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करें।
- (5) शासनादेशानुसार स्वीकृत पदों के सापेक्ष ही अर्ह अध्यापकों/कर्मचारियों की नियमानुसार नियुक्ति मान्य होगी।

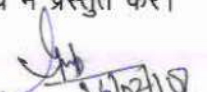

16/02/18
डॉ. (गोरखनाथ पटेल)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सोनभद्र

पृ०सं०/बे०शि०/6281-84

/2017-18 तददिनांक

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक) विन्ध्याचल मण्डल मीरजापुर।
- 2- जिला समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, सोनभद्र।
- 3- सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, सोनभद्र को इस आशय से कि सम्बन्धित विद्यालय का एक बार पुनः अभिलेखीय परीक्षण एवं स्थलीय सत्यापन कर लें तथा यह सुनिश्चित हो लें कि खतौनी में विद्यालय के नाम अंकित भूमि पर निर्मित भवन/किरायेनामा में उल्लिखित स्थान पर ही विद्यालय का संचालन हो रहा है तथा एन०बी०सी० प्रमाण पत्र के प्रमाणिकता की जाँच करते हुए अग्निशमन प्रमाण पत्र अद्यतन का प्राप्त कर कार्यालय में प्रस्तुत करें।


16/02/18
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सोनभद्र



Office of the District Basic Education Officer SONBHADRA

CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **GLENHILL SCHOOL KAMHARI , ROBERTSGANJ SONBHADRA** is permanently recognized for Pre-Primary, Primary and Junior School (class 1 to 8). The Recognition number allotted to Glenhill School Kamhari is **6281-84/2017-18**. The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.
2. **DATE OF ISSUE** 18-01-2021(DD/MM/YYYY)
3. **Recognition Type** Old
4. **School Type** Pre-Primary, Primary and Junior School
5. **Recognition No.** 6281-84/2017-18

DATE: - 18-01-2021
PLACE: - SONBHADRA

District Basic Education Officer

Digitally signed by GORAKHNATH PATEL
Date: 2022.04.10 15:42:46
Reason: For Digital Signature
Location: SONBHADRA